

राजस्थान सरकार
गृह(गुप-12)विभाग

क्रमांक : प.2(2)गृह-12/कारा/2015

जयपुर दिनांक 11 MAR 2015

महानिदेशक, कारागार
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- मंत्रालयिक संवर्ग की संशोधित कॉडर स्ट्रेन्थ के पुनर्गठन पर सहमति।

संदर्भ:- आपका पत्रांक स्था./सैटअप/10/2015/ 59623 दिनांक 02.02.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्रस्ताव के क्रम निदेशानुसार मंत्रालयिक संवर्ग की संशोधित कॉडर स्ट्रेन्थ के पुनर्गठन पर वित्त (व्यय-4 एवं सा.वि.) विभाग द्वारा जारी सहमति -अशा.टीप क्र. 15(31)वित्त/व्यय-4/13-14 दिनांक 23.12.2014 के क्रम में कारागार विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग के पदों की पुनर्गठित कॉडर स्ट्रेन्थ का विभाजन कर निम्नानुसार संशोधित कॉडर स्ट्रेन्थ की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	कार्यालय/ कारागृह का नाम	वर्तमान में स्वीकृत पद				संशोधित कॉडर पद			
		कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सहायक कार्यालय अधीक्षक	लिपिक ग्रेड-I	लिपिक ग्रेड-II	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सहायक कार्यालय अधीक्षक	लिपिक ग्रेड-I	लिपिक ग्रेड-II
1	मुख्यालय कारागार	1	2	10	20	2	8	7	20
2	रेंज जयपुर	0	0	1	1	0	1	1	1
3	रेंज उदयपुर	0	0	1	1	0	1	1	1
4	रेंज जोधपुर	0	0	1	1	0	1	1	1
5	के.का.जयपुर	0	1	3	6	1	1	2	7
6	के.का.जोधपुर	0	1	3	8	0	2	2	7
7	के.का.उदयपुर	0	1	3	5	0	2	2	5
8	के.का.अजमेर	0	1	2	4	0	1	2	4
9	के.का.बीकानेर	0	1	2	4	0	1	2	4
10	के.का.कोटा	0	1	3	5	0	1	2	5
11	नवीन कारागृह, कोटा	0	1	3	5	0	1	2	5
12	के.का.भरतपुर	0	0	2	4	0	1	2	4

13	के.का.श्रीगंगानगर	0	0	2	3	0	1	1	4
14	नवीन कारागृह, जयपुर	0	0	1	3	0	1	1	3
15	नवीन कारागृह, बीकानेर	0	0	1	3	0	1	1	3
16	नवीन कारागृह, दौसा	0	1	3	5	0	1	2	4
17	उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर	0	0	1	1	0	1	1	2
18	कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर	0	0	1	1	0	0	1	1
19	जि.का., धौलपुर "ए श्रेणी"	0	0	1	2	0	1	1	2
20	जि.का. टोंक "ए श्रेणी"	0	0	2	1	0	1	1	1
21	जि.का. अलवर "ए श्रेणी"	0	0	2	3	0	1	1	3
22	जि.का.झुंझुनू	0	0	1	0	0	0	1	0
23	जि.का.गंगापुरसिटी	0	0	1	0	0	0	1	0
24	जि.का.सीकर	0	0	1	0	0	0	1	0
25	जि.का.बाड़मेर	0	0	1	0	0	0	1	0
26	जि.का.नागौर	0	0	1	0	0	0	1	1
27	जि.का.सिरोही	0	0	1	0	0	0	1	0
28	जि.का.पाली	0	0	1	0	0	0	1	0
29	जि.का.जालोर	0	0	1	0	0	0	1	0
30	जि.का.भीलवाड़ा	0	0	1	0	0	1	1	0
31	जि.का.प्रतापगढ़	0	0	1	0	0	0	1	0
32	जि.का.बांसवाड़ा	0	0	0	1	0	0	1	0
33	जि.का.चूरू	0	0	1	0	0	0	1	0
34	जि.का.झालावाड़	0	0	1	0	0	0	1	0
35	जि.का.बूंदी	0	0	1	0	0	0	1	0
36	जि.का.जैसलमेर	0	0	1	0	0	0	1	0
37	जि.का.बांरा	0	0	1	0	0	0	1	0
38	जि.का.दौसा	0	0	1	0	0	0	1	0
39	जि.का.राजसमन्द	0	0	1	0	0	0	1	0
40	जि.का.हनुमानगढ़	0	0	0	1	0	0	1	0
41	जि.का.चित्तोड़गढ़	0	0	0	1	0	0	1	1
42	जि.का.डूंगरपुर	0	0	1	0	0	0	1	0

43	जि.का.करौली	0	0	1	0	0	0	1	0
44	उ.का.सवाईमाधोपुर	0	0	0	1	0	0	0	0
45	उ.का.मेड़तासिटी	0	0	0	1	0	0	0	0
46	उ.का.रायसिंहनगर	0	0	0	1	0	0	0	0
47	उ.का.कोटपुतली	0	0	0	1	0	0	0	0
48	उ.का.बगना	0	0	0	1	0	0	0	0
49	उ.का.श्रीकरणपुर	0	0	0	1	0	0	0	0
50	उ.का.डीग	0	0	0	1	0	0	0	0
51	उ.का.नीमकाथाना	0	0	0	1	0	0	0	0
52	उ.का.अनूपगढ	0	0	0	1	0	0	0	0
53	उ.का.अटरू	0	0	0	1	0	0	0	0
54	उ.का.ब्यावर	0	0	0	1	0	0	0	0
55	उ.का.किशनगढबांस	0	0	0	1	0	0	0	0
56	उ.का.बाली	0	0	0	1	0	0	0	0
	योग	1	10	67	102	3	30	58	89

भवदीय,

sd-

(अशोक कुमार मित्तल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. अति० महानिदेशक कारागार विभाग राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि संशोधित कॉडर स्ट्रेन्थ के अनुसार IFMS पर भी संशोधन की कार्यवाही करावें।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग
4. वित्तीय सलाहकार, कारागार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. लेखाधिकारी, गृह (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव